

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

राज्यांश

सेवा में,

सिविल सर्जन,
हजारीबाग।

राँची, दिनांक: 21-11-2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (60 प्रतिशत केन्द्रांश: 40 प्रतिशत राज्यांश) अन्तर्गत Infrastructure Maintenance के अधीन वेतन एवं भत्तों का भुगतान के लिए केन्द्रांश के विरुद्ध राज्यांश मद में कुल 44,00,000/- (चौवालीस लाख) रुपये मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-20(06)ब दिनांक-26.09.2025 के क्रम में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (60 प्रतिशत केन्द्रांश: 40 प्रतिशत राज्यांश) अन्तर्गत Infrastructure Maintenance के अधीन वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए संलग्न परिशिष्ट के अनुसार वेतन एवं भत्ते मद में व्यय हेतु केन्द्रांश के विरुद्ध राज्यांश मद में कुल-44,00,000/- (चौवालीस लाख) रुपये रुपए मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. यह एक चालू योजना है। वेतन आदि मद में आवंटित राशि कि निकासी स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल के आधार पर की जाएगी।

3. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार द्वारा कि जाएगी।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं संबंधित जिले के सिविल सर्जन होंगे।

5. व्यय का वाहन केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बजट मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ एलोपैथी -103-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना-A1-Infrastructure Maintenance -00-01-वेतन एवं भत्ते-01-वेतन (Salary) से किया जाएगा।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561(वि०), दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-1800(वि०), दिनांक-15.07.2003 के आलोक में की जाएगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध रूप से नियुक्त कार्मियों का वेतन भुगतान नहीं हो, इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र में अंकित करेंगे। विपत्र में अंकित कोषागार/उप कोषागार एवं मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष, लघु शीर्ष के लगे हुए स्पष्ट मुहर से ही राशि की निकासी होगी।

8. राशि का व्यय स्वीकृत योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार एवं वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा विहित शर्तों/निदेशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जायेगा।

9. इस आवंटित राशि के व्यय का वहन परिशिष्ट-1 में अंकित बजटशीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

10. न्यायालय संबंधी मामलों में बकाया वेतनादि का भुगतान नियमानुसार इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव

(विद्यानन्द शर्मा पंकज)
अपर सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

11. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार एवं स्वास्थ्य विभाग को समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन,


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

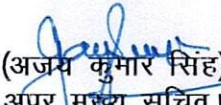
ज्ञाप संख्या-06/के0ब0 योजना- 12/2025 - 28(6) के रांची, दिनांक: 21-11-2025

प्रतिलिपि: माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नामकुम, राँची/संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/ सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, नेपाल हाउस, राँची/योजना बजट प्रशाखा के कम्प्यूटर सहायक, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।


(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव


(विद्यानन्द शर्मा पकज)
अपर सचिव।


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (60 प्रतिशत केन्द्रांश: 40 प्रतिशत राज्यांश) अन्तर्गत Infrastructure Maintenance के अधीन वेतन एवं भत्ते मद में केन्द्रांश के विरुद्ध राज्यांश मद में आवंटित राशि की विवरणी:-

क्र०	स्थापना का नाम	वेतन (20-S-2210-01-103-A1-00-01-01) मद में आवंटित राशि रूपयों में	अभ्युक्ति
1	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग।	44,00,000 /-	
	Total	44,00,000 /-	

कुल:- 44,00,000 /- (चौबालीस लाख)

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव

(विद्यानन्द शर्मा पकज)
अपर सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

28(6)क
31-11-2025



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

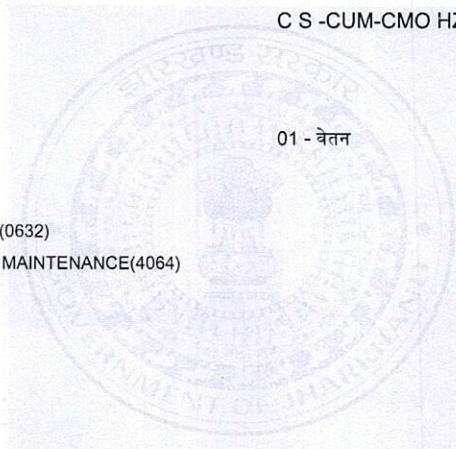
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

।

पत्र संख्या - 06/CB-1-12/25/28(6)B

दिनांक - 21-Nov-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 221001103A1000101 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 103 - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना A1 - इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टेनेंस 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते Central Scheme (State Share) State Scheme : NHM GRANT IN AID(0632) Central Scheme : INFRASTRUCTURE MAINTENANCE(4064)	73561	HZBMED069 ASHOK KUMAR C S -CUM-CMO HZB 01 - वेतन	4,400,000.00 रुपये चवालीस लाख



Signature

योग:

रुपये चवालीस लाख

4,400,000.00

क्रमिक योग:

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँगा सं० - 20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 103 - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना & A1 - इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टेनेंस

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S221001103A1000101	Total
					वेतन	
1	2	3	4	5	6	7
1	Hazaribagh	HZBMED069	Ashok Kumar	C S -Cum-Cmo Hzb	₹44,00,000.00 (73561)	₹44,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹44,00,000.00 (polkyhl yk|k) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJIOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY